न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 75/23 GCMS NO 2023/165

1. रामकिशन
2. रामधन
3. रामफूल
4. हरफूल पुत्रान भूरा उर्फ भूरालाल जातियान मीना निवासीयान ग्राम बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. दुर्गाशंकर पुत्र स्व0श्री रूपनारायण जाति ब्राहम्ण
2. भैरूलाल पुत्र राधाकिशन गुर्जर
3. देवेन्द्र पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
4. तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाडा

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 34/22 निर्णय दिनांक 5.4.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री हरिमोहन जाट

अभिभाषक रैस्पो0 श्री अब्दुल बहाव, श्री विनोद अग्रवाल

दिनांक 27.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 5.4.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत इस आशय का पेश कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 4261 रकबा 0.0100 है0 ख0न0 4262 रकबा 0.0700 है0 ख0न0 4263 रकबा 2.8700 है0 जिसका खाता संख्या 534 है एवं ख0न0 4266 रकबा 0.4800 है0 ख0न0 4265 रकबा 0.1500 है0 ग्राम चौथ का बरवाडा मे स्थित है। जिसमे आने जाने के लिए एक मात्र कदीमी रास्ता ख0न0 4267 की पूर्वी मेड पर होकर 15 फीट के रास्ते की आवश्यकता है। जो कि अप्रार्थी देवेन्द्र पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण की खातेदारी की आराजीयात है। इस प्रकार उक्त आराजीयात मे आने जाने हेतु अप्रार्थी देवेन्द्र की आराजीयात ख0न0 4267 की पूर्वी मेड से 15 फीट रास्ता प्रदान किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा से रास्ते का तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जाकर आराजी ख0न0 4268 मे से 68 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा अर्थात् 340 वर्गमीटर तथा ख0न0 4265 मे से 52 मीटर लम्बा तथा 5 मीटर चौडा अर्थात् 260 वर्गमीटर तथा ख0न0 4266 मे से 48 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा अर्थात 240 वर्गमीटर रास्ता डी एल सी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दो गुना राशि संबंधित खातेदारान को दिये जाने की शर्त पर रास्ता प्रदान किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त योग्य है। रेस्पो0 ने अपने खेत ख0न0 4266,4265 एवं 4263 पर जाने के लिए ख0न0 4267 की पूर्वी मेड पर होकर रास्ता चाहा है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने रास्ता ख0न0 4268 मे होकर दिया है। इस प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के तथ्यो को बिना पढे ही आदेश पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। आराजी ख0न0 4268 मे खातेदारी अपीलांट है जिन्हे ना तो प्रार्थी ने रेस्पो0 बनाया है ना उसी प्रार्थना पत्र मे ख0न0 4268 मे बारे मे है। ऐसी स्थिति मे आदेश निरस्त योग्य है। रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र मे तहसीलदार लैण्ड होल्डर को पक्षकार नही बनाया है इस बिना पर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस संबंध मे इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा कर अहम भूल की है। अपीलांट के ख0न0 4268 मे वर्षो से अमरूद के पेडो के साथ अन्य फलदार पेड लगे हुए है जिनमे होकर बिना सुनवाई के रास्ता दिया जाना विधि के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट पक्षकार नही था। अपीलांट को तहसीलदार चौथ का बरवाडा से नोटिस दिनांक 7.8.23 को प्राप्त होने पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई । इस प्रकार नकल प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत की गई है। क्योकि विवादित एक तरफा आदेश से अपीलार्थी प्रभावित है। अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट को बिना सुने ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि रेस्पो/प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात भूमि ख0न0 4261 रकबा 0.0100 है0 ख0न0 4262 रकबा 0.0700 है0 ख0न0 4263 रकबा 2.8700 है0 जिसका खाता संख्या 534 है एवं ख0न0 4266 रकबा 0.4800 है0 ख0न0 4265 रकबा 0.1500 है0 ग्राम चौथ का बरवाडा मे स्थित है। जिसमे आने जाने के लिए एक मात्र कदीमी रास्ता ख0न0 4267 की पूर्वी मेड पर होकर 15 फीट के रास्ते की आवश्यकता होने कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के तहत पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आराजी ख0न0 4265 व 4266 मे से होकर ख0न0 4198 रकबा 0.53 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से ख0न0 4268 की पूर्वी मेड के सहारे ख[illegible] की पूर्वी मेड तथा ख0न0 4265 की पूर्वी मेड से होकर ख0न0 4263 पर [illegible] रास्ता माना जाकर ही डी एल सी दर की दो गुना राशि [illegible] किये जाने की शर्त पर ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विधि के अनुसार रास्ता प्रदान किया गया है। इस प्रकार रास्ता या पहुँच मार्ग एवं आवश्यक सुखाधिकार है किसी की जोत पर पहुँच हेतु रास्ता होना आवश्यक होता है। इसी के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप रास्ता प्रदान किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात ख0न0 4261 रकबा 0.0100 है0 ख0न0 4262 रकबा 0.0700 है0 ख0न0 4263 रकबा 2.8700 है0 जिसका खाता संख्या 534 है एवं ख0न0 4266 रकबा 0.4800 है0 ख0न0 4265 रकबा 0.1500 है0 ग्राम चौथ का बरवाडा मे स्थित है। जिसमे आने जाने के लिए एक मात्र कदीमी रास्ते की आवश्यकता होने से आराजी ख0न0 4267 की पूर्वी मेड पर होकर 15 फीट का रास्ता चाहा गया था। जो कि अप्रार्थी देवेन्द्र पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण की खातेदारी की आराजीयात है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात मे से रास्ता प्रदान किया गया है। जबकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार ही नही था। इस प्रकार अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हुआ है। यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता न्यूनतम दूरी का अपीलांट की आराजीयात मे से होना माना है तो उनको अपीलांट को नोटिस दिया जाकर सुनना चाहिए था। अपीलांट को बिना सुने ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो कि विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतःअपील अपीलांट रिमण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 34/22 निर्णय दिनांक 5.4.23 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 4.4.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner